फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गोपाल बनाम रा० राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 136 R.T.A नं० 124 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8.8.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 8.9.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8/9/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी सं० 1 का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शा० प० किया गया। वास्ते पत्रावली मे देखने मौकारिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 13-10-23 को पेश हो।	
13/10/23	पत्रावली पेश हुई, अधिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] /बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो।	
10/11/23	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / चुनाव [illegible] है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9.2.24 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	
9/2/24	पत्रावली पेश [illegible] अधिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] रखने से पत्रावली दिनांक 22/3/24 को पेश हो।	
22.3.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी को कितनी बार कड़-कड़ कर आवाजे दिलावी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की ईस्त दुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम सारणो का खेड़ा पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित होकर वर्तमान मे राजस्व रिकॉर्ड मे गोपीलाल पुत्र मांगीलाल जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2075-2077 से होती है। प्रार्थी ने अपना नाम गोपीलाल के बजाय गोपाल जाट कराना चाहता है। जिसकी ताईद मे आधार कार्ड, पेन कॉर्ड एव रजिस्ट्री की फोटो प्रति आदि से होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अत:

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सारणो का खेड़ा पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित खाता संख्या 38 मे अंकित आराजी नम्बर 160 रकबा 0.6578 हैक्टेयर भूमि मे अंकित राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम गोपीलाल के बजाय गोपाल जाट राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner